174

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग - 3126 - I - 16

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2015–16

पुनरीक्षणकर्ता/ आवेदक	:	लल्लूलाल सोनी पिता स्व. श्री दुलीचंद सोनी, उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी– शेर चौक कटनी, तह. व जिला कटनी (म.प्र.)

विरूद्ध

गैरपुनरीक्षणकर्तागण/ अनावेदकगण	:	1. म.प्र. शासन
		2. श्रीमति रूकमणि मिश्रा पत्नि स्व. श्री साकेत बिहारी मिश्रा, निवासी– लालबहादुर वार्ड, तह. व जिला कटनी, हाल निवासी– राममनोहर लोहिया वार्ड कं. 5, दैनिक म.प्र. प्रेस के बाजू में कुठला, कटनी (म.प्र.)
		3. श्री सरमन काछी पिता स्व. श्री रामसुन्दर काछी, निवासी– जगमोहनदास वार्ड, आधार काप, कटनी, तह. व जिला कटनी (म.प्र.)

14/9/16

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 195/अ–6–अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2016 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधार पर प्रस्तुत करता हैः–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता निवासी– शेर चौक कटनी, तह. व जिला कटनी (म.प्र.) का स्थाई निवासी है ।

2. यह कि, वर्तमान अनावेदक कं. 3 द्वारा मौजा मुड़वारा स्थित भूमि ख.नं. 256 में से 0.011 हे. भूमि तत्कालीन भूमि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3126/एक/2016 जिला-कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21.12.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 195/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक क्रमांक 2 श्रीमती रूकमणी मिश्रा द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार कटनी के समक्ष ग्राम मुडवारा प.ह.न. 43 स्थित भूमि खसरा नं. 256/4 रकवा 0.33 है0 भूमि का नक्शा बंटाकन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। जिसपर आवेदक लल्लूलाल एवं अनावेदक क्रमांक 3 सरमन काछी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी। जिसका विधिवत् निराकरण न करते हुये आदेश दिनांक 30.09.2015 पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील वर्तमान आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कटनी के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो पारित आदेश दिनांक 04.12.2015 से स्वीकार की गयी। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 2 श्रीमती रूकमणी द्वारा द्वितीय अपील कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जो पारित आदेश दिनांक 29.08.2016 को स्वीकार की गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी। 3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।	

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है, कि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 व 3 की भूमियां आपस में एक दूसरे से लगी हुयी है। तथा अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा खसरा नं. 256 में से 0.033 हे0 भूमि वर्ष 2000 में क्रय की गयी है जो खसरा नं. 256/4 के रूप में अनावेदक के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा उक्त भूमि खसरा नं. 256 से लगकर पश्चिम दिशा की ओर वर्तमान आवेदक की भूमि खसरा नं. 251/1 एवं 255/1 स्थित है। उक्त भूमियां आवेदक द्वारा वर्ष 1984 को क्रय की गयी है आवेदक की उक्त भूमि से लगकर पूर्व दिशा की ओर खसरा नं. 256 में पूर्व से ही रामसुन्दर काछी जोकि वर्तमान अनावेदक क्रमांक 3 के पिता है कि भूमि स्थित है तथा उसके पश्चात् रामसुन्दर काछी की के पूर्व दिशा की ओर चन्द्रिका प्रसाद वर्मन द्वारा खसरा नं. 256 के अंश भाग में क्रय की गयी भूमि स्थित है जो स्पष्ट करता है कि वर्तमान अनावेदक क्रमांक 2 की भूमि चन्द्रिका प्रसाद वर्मन के पूर्व दिशा की ओर स्थित होगी। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का बंटाकन खसरा नं. 256 में स्थित रामसुन्दर की भूमि के पश्चिम दिशा की ओर कर दिये जाने से उक्त भूमि का बंटाकन स्वमेव गलत हो जाता है। क्योंकि खसरा नं. 256 की सीमा आवेदक की भूमि के पश्चात् जहॉं से प्रारंभ होती है वहॉं रामसुन्दर की भूमि स्थित है। ऐसी दिशा में अनावेदक क्रमांक 2 की भूमि का बंटाकन रामसुन्दर की भूमि के पश्चिम दिशा में हो ही नहीं सकता। क्योंकि खसरा नं. 256 का अंतिम भाग रामसुन्दर काछी का है तथा रामसुन्दर काछी की भूमि के पश्चात् आवेदक की भूमि खसरा नं. 251/1 एवं 255/1 की सीमा प्रारंभ होती है। अतः आदेश त्रुटि पूर्ण है, जो निरस्त किये जाये। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने तथा कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर का आदेश दिनांक 29.08.2016 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से शासकीय सूची

अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5- अनावेदक क्रमांक 2 के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया कि वर्तमान प्रकरण में कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा उभय पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर देते हुये अभिलेख के आधार पर आदेश पारित किया है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश को निरस्त किये जाने का कोई कारण वर्तमान प्रकरण में नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत् रखते हुये आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गयी निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवदेन किया गया।

6- उभय पक्ष के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष जो प्रतिवेदन हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किये गये है। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि मौके पर कोई चांदा मुनारा/स्थायी सीमाचिन्ह नहीं है। जो स्पष्ट करता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष जो नक्शा बंटाकन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। वह बिना किसी स्थायी चिन्हो के आधार पर तथा आवेदक एवं अनावेदक कि भूमियों की विधिवत् माप किये बिना ही प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसे प्रतिवेदन के आधार पर जो आदेश पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है। इसके अलावा विचारण न्यायालय द्वारा वर्तमान आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 3 की आपत्तियो का निराकरण किये बिना तथा साक्ष्य अंकित कराये बिना आदेश पारित किया है। जो अपने स्थान पर विधिवत् एवं उचित नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख का परीक्षण किये बिना ग्राम मुड़वारा प.ह.नं. 43 स्थित भूमि खसरा नं. 256/4 कुल रकवा 0.033 है0 का नक्शा बंटाक प्रस्ताव प्रदर्श पी-2 के आधार पर नक्शे के बंटाकन का आदेश पारित किया है व खसरा नं.

256/4 के अन्य बंटाकन 1, 2 व 3 की स्थिति कहाँ स्थित है इसका कोई उल्लेख न करते हुये आदेश पारित किया है वह त्रुटि पूर्ण है। इस वैधानिक स्थिति पर कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा अपने आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रकरण मे संलग्न आवेदक के विक्रय पत्र में दर्ज चौहद्दी में उत्तर दिशा की ओर सड़क स्थित है तथा चर्तुसीमानुसार वह मौके पर काबिज है उक्त भूमि का विधिवत सीमांकन संबधित राजस्व अधिकरियों द्वारा सभी सीमावर्ती कृषकों को सूचना उपरांत किया जा चुका है तथा फील्डबुक आदि प्रदान की गई है जो संलग्न प्रकरण है। आवेदक का विक्रयपत्र वर्ष 1984 का है तथा उसी के अनुरुप आवेदक मौके पर काबिज है जबकि अनावेदक का विक्रयपत्र वर्ष 2000 में निष्पादित हुआ है। उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 195/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी, कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2015 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य